



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 19015 वर्ष 2025

वकील खान

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

अभिषेक दुबे, जय राज

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय राज तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राय को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान ज़मानत अर्जी, धारा 483 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत, आवेदक वकील खान की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे मुकदमा विचाराधीन रहने की अवधि के दौरान, थाना कमलानगर, जनपद आगरा में पंजीकृत 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज 'केस क्राइम संख्या 68, वर्ष 2023' में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुबंध संख्या 2 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में पाँच आपराधिक मामले दर्शाए गए हैं और उन सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, आवेदक के आपराधिक इतिहास से संबंधित तेईस अन्य मामलों के संबंध में भी पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण अथवा सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 24.06.2022 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता (जमानत) प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करे। जमानत की शर्तें निम्नलिखित होंगी:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को उजागर करने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत (ओपनिंग), (ii) आरोप तय करना और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराना।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार की स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत याचिका के निपटारे के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर की गई कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव